भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 448

20 जुलाई, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: 'एग्रीस्टैक' का स्थापन

448. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:

श्री बृजेन्द्र सिंह:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी आधारित कामकाज को बढ़ावा देने वाली परियोजना 'एग्रीस्टैक' पर अमल शुरू हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 'एग्रिस्टैक' के स्थापन के लिए सरकार ने निजी कंपनियों के साथ करार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 'एग्रीस्टैक' परियोजना में सहयोग के लिए निजी फर्मों के चयन के मापदंड क्या हैं; और

(घ) डाटा संरक्षण कानूनों के अभाव में निजी कंपनियों द्वारा किसानों के व्यक्तिगत तथा गैर-व्यक्तिगत डाटा के दोहन/दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार के पास उपलब्ध तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) विभाग ने देश में एग्रीस्टैक बनाने का काम शुरू कर दिया है। एग्रीस्टैक बनाने के लिए, विभाग "इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर (आईडीईए)" को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जो एग्रीस्टैक के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगा। तदनुसार, कार्य दल का गठन किया गया है और इसके आगे, आईडीईए पर एक अवधारणा पत्र तैयार किया गया है और विषय विशेषज्ञों, किसानों, किसान उत्पाद संगठन (एफपीओ) और आम जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। एक बार अंतिम रूप देने के बाद, यह किसानों की आय को दोगुना करने के समग्र लक्ष्य के साथ किसानों की आय बढ़ाने और देश में कृषि क्षेत्र की कार्य दक्षता/कृषि दक्षता में सुधार करने के लिए प्रभावी रूप से योगदान करने हेतु नवोन्मेषी कृषि-केंद्रित समाधान प्रोद्योगिकी बनाने के लिए आधार के रूप में काम कर सकता है। विभाग द्वारा संघबद्ध किसानों का डेटाबेस बनाया जा रहा है और एक बार पूरा हो जाने के बाद, यह एग्रीस्टैक के केंद्रक के रूप में काम करेगा।

(ख) और (ग) जी नहीं, सरकार ने एग्रीस्टैक की स्थापना के लिए निजी कंपनियों के साथ कोई करार नहीं किया है। तथापि, भारत सरकार की कई योजनाओं से संबंधित सार्वजनिक डोमेन में पहले से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर और उन्हें भूमि रिकॉर्ड आंकड़ों से जोड़कर, संघबद्ध किसान डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसमें से कुछ आंकड़े चुनिंदा आधार पर प्रमुख

प्रौद्योगिकी/कृषि-तकनीक/स्टार्टअप कंपनियों के साथ अवधारणा का प्रमाण (पीओसी) विकसित करने के लिए साझा किए जाते हैं। यह सहभागिता नि:स्वार्थ आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए है। पीओसी हमें उन समाधानों को समझने में मदद करेंगे जो उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग करके बनाए जा सकते हैं और उनमें से कुछ, अगर किसानों के लिए फायदेमंद पाए जाते हैं, तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जाएगा।

(घ) अब तक, सरकार में विभिन्न आंकड़े साइलो में मौजूद सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों को लेकर संघबद्ध किसानों का डेटाबेस बनाया जा रहा है और किसानों का कोई भी निजी डेटा किसी भी निजी संगठन के साथ साझा नहीं किया जाता है। यह विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के परामर्श से कृषि क्षेत्र के लिए डेटा नीति लाने की प्रक्रिया में है।